

[2/12/2025]

पारिशद-31

# कार्यालय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, पन्ना (म0प्र0)

क्रमांक/2584/तक0/अता.प्र.क्र.653/2025-26

पन्ना, दिनांक 17/11/2025

प्रति,

उपसंचालक,  
(खनिज प्रशासन )  
जिला पन्ना (म.प्र.)

विषय :- विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 653 द्वारा माननीय श्री राजेश कुमार वर्मा।

संदर्भ :- आपका पत्र क. 1089/खनिज/2025 पन्ना दिनांक 17.11.2025  
—/—/—

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाहे गये विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 653 के प्रश्न में वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक छोटी, बड़ी सड़को में निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु जिनमें मिट्टी, मुरुम की अस्थायी अनुज्ञा चाहे जाने पर ठेकेदार को प्रदान की गई है। जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है।

| स. क. | मार्ग का नाम                                                                                             | ठेकेदार का नाम                                                               | खसरा क./ग्राम का नाम                                    | खनिज का नाम |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                                                                        | 3                                                                            | 4                                                       | 5           |
| 1     | अमानगंज-गुनौर मार्ग के कि.मी. 5/10 से बुन्ना मेंहदवा मार्ग वाया मढिया टौराह पुरवा मार्ग लं. 10.40 कि.मी. | मेसर्स रत्न बिल्डर्स, प्रो. श्री विद्यासागर तिवारी, कालू कुआं बांदा (उ0प्र0) | 2105/1(s) , 2105/2 (s) ग्राम महेबां क. 105/s ग्राम काटी | मिट्टी      |
| 2     | पाठा मुख्य सड़क से जालिम सिंह के घर तक लं. 5.20 कि.मी.                                                   | श्री संतोष कुमार गुप्ता, अरविंद साधलाय के पास बडा बाजार पन्ना                | 72/2, ग्राम बिलखुरा तालाब                               | मिट्टी      |

सहपत्र :- स्वीकृत पत्र की छायाप्रति।

(प्रकाश पन्ने)  
अवर सचिव  
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

17/11/2025  
कार्यपालन यंत्री  
लो0नि0वि0 (भ/स) संभाग पन्ना



**कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग पन्ना (म.प्र.)**

e-mail address - eepwdpan@gmail.com, eepwdpan@gov.in

ph.no. 07732 252006

क्र./1031 /तक./सड़क/2023-24

पन्ना, दिनांक 21/03/2024

प्रति,

मेसर्स रतन बिल्डर्स,  
प्रो० श्री विद्यासागर तिवारी,  
कालू कुआ. बांदा (उ०प्र०)

- विषय :- अमानगंज-गुनौर मार्ग के कि.मी. 5/10 तुन्ना-मेहंदवा मार्ग व्हाया मढ़िया-टौराह पुरवा मार्ग लंबाई 10.40 कि.मी. निर्माण कार्य के संबंध में मिट्टी उत्खनन एवं परिवहन हेतु अनुमति बावत्।
- संदर्भ :- 1. कार्यार्थ कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना, जिला पन्ना का 454/11/एम/3/6/ 2024 पन्ना दिनांक 15.03.2024
2. कार्यार्थ अनुविभागीय अधिकारी (रा०) गुनौर जिला पन्ना का पत्र क्र.815/रीडर/2024 गुनौर दिनांक 20.03.2024

—00—

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(1) के अंतर्गत संदर्भित पत्र स.क्र.-01 एवं 02 द्वारा अमानगंज-गुनौर मार्ग के कि.मी. 5/10 तुन्ना-मेहंदवा मार्ग व्हाया मढ़िया-टौराह-पुरवा मार्ग लंबाई 10.40 कि.मी. निर्माण कार्य में मिट्टी उत्खनन एवं परिवहन हेतु ग्राम महेवा खसरा क्र. 2105/01, 2105/02 एवं ग्राम कांटी खसरा क्र.105/एस शासकीय तालाब से मिट्टी उत्खनन हेतु अनापत्ति प्रदान की गई हैं। एवं मार्ग स्थल से वन विभाग का क्षेत्र लगभग 3-4 कि.मी. की दूरी में हैं।

अतः उक्त मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम महेवा खसरा क्र. 2105/01, 2105/02 एवं ग्राम कांटी खसरा क्र.105/एस शासकीय तालाब से मिट्टी उत्खनन एवं परिवहन हेतु निम्नालिखित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. खनिज निकालने के दौरान सार्वजनिक स्थान, हाई टेंशन लाईन, फसल या वृक्ष आदि को हानी नहीं पहुंचाई जावेगी।
  2. उक्त शासकीय कार्य के अलावा सड़क कहीं खनिज का विक्रय नहीं किया जावेगा ऐसा पाये जाने पर अनुज्ञा निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
  3. उत्खनन अवधि में सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी। शर्तों के विपरीत कार्य होने पर स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। एवं उत्खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जावेगा।
  4. उक्त अवधि के दिये गये कार्य आदेश की अवधि अनुसार निर्माण कार्य कालावधि अथवा खनिज की मात्रा जो भी पहले हो से अधिक नहीं होगा।
  5. मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में विहित नियमों का पालन करना होगा।
- सहपत्र :- संदर्भित पत्र क्र.01 एवं 02 की छायाप्रति।

पृ.क्र./1032/तक./सड़क/2023-24  
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना, जिला पन्ना की ओर संदर्भित पत्र क्र.01 के संबंध में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा०) गुनौर जिला पन्ना की ओर संदर्भित पत्र क्र.02 के संबंध सूचनार्थ प्रेषित।
3. तहसीलदार तह० अमानगंज जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. उपसंभाग पन्ना द्वितीय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रकाश पन्ने)

अधर सचिव

च.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

कार्यपालन यंत्री  
लो.नि.वि.(म/स) संभाग पन्ना (म.प्र.)

पन्ना, दिनांक 21/03/2024

कार्यपालन यंत्री  
लो.नि.वि.(म/स) संभाग पन्ना (म.प्र.)

लो.नि.वि.(म/स) संभाग पन्ना (म.प्र.)



# कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग पन्ना (म.प्र.)

e-mail address - eepwdpan@gmail.com, eepwdpan@gov.in

ph.no. 07732-252006

पन्ना, दिनांक 04/10/2024

क्र./3102/तक./सड़क/2024-25

प्रति,

श्री संतोष कुमार गुप्ता, ठेकेदार  
अरविंद साधनालय के पास,  
टिकुरिया मोहल्ला, पन्ना  
जिला पन्ना (म0प्र0)

- विषय :- पन्ना-पहाड़ीखेरा मार्ग पाठा मुख्य सड़क से जालीम सिंह के घर तक लंबाई 5.70 कि.मी. निर्माण कार्य के संबंध में मिट्टी उत्खनन एवं परिवहन हेतु अनुमति बावत्।
- संदर्भ :- 1. कार्या 0 कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना, जिला पन्ना का 1339/11/एम/3/8/2024 पन्ना दिनांक 24.09.2024
2. कार्या वन मण्डाधिकारी, उत्तर सामान्य वन मंडल पन्ना (म0प्र0) का पत्र क्र. मा0चि0/2024/4061 पन्ना, दिनांक 04.09.24

—00—

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68(1) के अंतर्गत संदर्भित पत्र स.क्र.-01 एवं 02 द्वारा पन्ना-पहाड़ीखेरा मार्ग पाठा मुख्य सड़क से जालीम सिंह के घर तक लंबाई 5.70 कि.मी. निर्माण कार्य में मिट्टी उत्खनन एवं परिवहन हेतु ग्राम बिलखुरा खसरा क्र. 72/1 बिलखुरा तालाब रकवा 4.78 हे० से मिट्टी 3000.00 घन मीटर एवं मुरुम 600.00 घन मीटर उत्खनन हेतु अनापत्ति प्रदान की गई हैं। आवेदित क्षेत्र निकटतम वन कक्ष क्र. पी-349 की वन सीमा से लगभग 250.00 मीटर परिधि से बाहर राजस्व क्षेत्र में पाया गया है।

अतः उक्त मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम बिलखुरा खसरा क्र. 72/1 बिलखुरा तालाब रकवा 4.78 हे० से मिट्टी उत्खनन एवं परिवहन हेतु निम्नालिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. खनिज निकालने के दौरान सार्वजनिक स्थान, हाई टेंशन लाइन, फसल या वृक्ष आदि को हानि नहीं पहुंचाई जावेगी।
  2. उक्त शासकीय कार्य के अलावा अन्य कहीं खनिज का विक्रय नहीं किया जावेगा ऐसा पाये जाने पर अनुज्ञा निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
  3. उत्खनन अवधि में सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी। शर्तों के विपरीत कार्य होने पर स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। एवं उत्खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जावेगा।
  4. उक्त अवधि के दिये गये कार्य आदेश की अवधि अनुसार निर्माण कार्य कालावधि अथवा खनिज की मात्रा जो भी पहले हो से अधिक नहीं होगा।
  5. मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में निहित नियमों का पालन करना होगा।
  6. संदर्भित पत्र क्र.01 एवं 02 में निहित शर्तों का पालन किया जावे।
- सहपत्र :- संदर्भित पत्र क्र.01 एवं 02 की छायाप्रति।

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि. (भ/स) संभाग पन्ना (म.प्र.)

पन्ना, दिनांक 04/10/2024

पृ.क्र./3103/तक./सड़क/2024-25

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना, जिला पन्ना की ओर संदर्भित पत्र क्र.01 के संबंध में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा०) पन्ना जिला पन्ना की ओर संदर्भित पत्र क्र.02 के संबंध सूचनार्थ प्रेषित।
3. तहसीलदार तह० पन्ना, जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. उपसंभाग पन्ना प्रथम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रकाश चन्दे)

अवर सचिव

भ.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि. (भ/स) संभाग पन्ना (म.प्र.)